पत्र संख्या–विधि–4(1)परिपत्र भाग–2(09–10)– 1921/09100092/वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
दिनांक : लखनऊ : फरवरी 17 ,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवधित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आने वाली तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर निर्धारण वर्ष 08–09 का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31–10–09 को 90 दिन तक बढ़ाये जाने के निर्देश मुख्यालय के परिपत्र संख्या–वैट/विधि–4(1)/ 90 –10परिपत्र भाग–2–1191/वाणिज्य कर, दि0 23–10–09 द्वारा प्रसारित किये गये।

शासन के पत्र संख्या–क0नि0–119/ग्यारह–2–2010–9(295)/07 टीसी, दि0 27–1–10 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष 08–09 का वार्षिक रिटर्न दिनांक 31–3–10 तक न दाखिल किये जाने पर उनके विरुद्व इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाये जो मुख्यालय के पत्र संख्या–4(1)परिपत्र भाग–2 (09–10)/09100079/1784 वाणिज्य कर दि0 27–1–10 द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को प्रसारित कर दिया गया।

विभिन्न स्तरों से इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कतिपय कारणों से अभी तक वर्ष 08–09 के वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किये जा सके हैं। अतः उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम 45 (7) के परन्तुक के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए करदाताओं को बिना प्रार्थनापत्र प्राप्त किये ही वर्ष 08–09 का वार्षिक रिटर्न (26, 26ए, 26बी) दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31–3–2010 निर्धारित की जाती है । तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी को समय बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने एवं समस्त अधिवक्ता संघों/व्यापारिक संघों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
2– श्री एच0एन0 राव/श्री एस0सी0 द्विवेदी, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।